FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी
संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनांक 19-11-2025 कुर्की थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना एका पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर रणजीत की 9,88,713 (नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ तेरह रुपये) की आपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित अचल सम्पत्ति कुर्क की गयी।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में आदतन एवं संगठित अपराधियों पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।**
- **गैंगस्टर एक्ट में नामजद गैंग लीडर रणजीत पुत्र बादाम सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार गंभीर अपराधों को अंजाम देकर अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति को पत्नी के नाम से क्रय किया गया था।**
- **गैंग का सरगना रणजीत पुत्र बादाम सिंह थाना जसराना का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर—हत्या, बलवा, लूट, मारपीट, अवैध हथियार रखने जैसे गम्भीर अपराधों में रहा है संलिप्त।**
- **शातिर अभियुक्त रणजीत पर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक संगीन अपराधों के अभियोग हैं पंजीकृत.........**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थाना एका पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2025 धारा 2/3 गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त रणजीत पुत्र बादाम सिंह, निवासी ग्राम खुदादादपुर, थाना जसराना फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ति (1- मौजा नायकपुर, तहसील शिकोहाबाद – गाटा संख्या 65, रकबा 1.927 है0 के 1/4 हिस्से में 405/481 भाग 0.40563 है0 व 2- मौजा पाढ़म, तहसील जसराना – गाटा संख्या 377 व 358 से शेष भूमि 0.0273 है0) कीमत करीब **9,88,713 (नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ तेरह रुपये)** को आज दिनांक 19-11-2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

गैंग लीडर अभियुक्त रणजीत पुत्र बादाम सिंह, निवासी खुदादादपुर थाना जसराना का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 68/2018 – धारा 392 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 304/2018 – धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरो0।

3. मु0अ0सं0 306/2018 – धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 551/2018 – धारा 323/504/506 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 421/2020 – धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 164/2020 – धारा 394 भादवि थाना एका जनपद फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 50/2021 – धारा 323/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
8. मु0अ0सं0 04/2024 – धारा 147/148/342/302/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरो0।
9. मु0अ0सं0 10/2024 – धारा 307/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरो0।

गैंग लीडर अभियुक्त रणजीत पुत्र बादाम सिंह द्वारा अपनी पत्नी रीना देवी के नाम से क्रय हुयी अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति की कुर्क का विवरण:-

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रू0 में)
1	रीना देवी पत्नी रणजीत निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।	मौजा नायकपुर, तहसील शिकोहाबाद – गाटा संख्या 65, रकबा 1.927 है0 के 1/4 हिस्से में 405/481 भाग (0.40563 है0)	8,11,263/-
2	रीना देवी पत्नी रणजीत निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।	मौजा पाढ़म, तहसील जसराना – गाटा संख्या 377 रकवा 1.023 है0 का 1/8 भाग पूर्ण व गाटा संख्या 358 रकवा 0.510 है0 का 1/8 भाग में से 36/63 भाग अर्थात 0.164305 है0 में से विक्रय करने के बाद शेष भूमि 0.0273 है0	1,77,450 रूपये
कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य रूपयों मे:----			**9,88,713 रूपये (नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ तेरह रूपये मात्र)**